संख्या-185/2026/आई/1275389/23-1-26/002-23-1002(002)/124/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 — **लखनऊ::दिनांक 21 मार्च, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 17 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 17 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,51,86,000/- (रूपये नौ करोड़ इक्यावन लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	19955/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	12-03-2026
2	20042/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	14-03-2026
3	20062/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	16-03-2026
4	20222/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	19-03-2026

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. सहारनपुर	दौलतपुर नानौता मंगलौर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-	84 /2024/आई/513525	2378.75 2378.75 896.86	1815.50	279.78	98.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		167) से नन्हेड़ा खुर्द (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	/23-1-24/001-23-1002(002)/53/2024 -दिनांक-06-03-2024	283.47 2095.28			
2	नि.ख. सहारनपुर	देवबन्ध से बास्तम तक मार्ग	96/2024/आई/517876/23-1-24/004-23-1002(002)/2015/2023-दिनांक-13-03-2024	225.00 225.00 155.81 15.74 209.26	136.01	73.25	23.15
3	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में वितीय वर्ष 2024-25 में गंगनहर पटरी से बालू माजरा लौटनी निजानन्द आश्रम होते हुए देवबन्द जखवाला अम्बेहटा मोहन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) तक मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	125 /2025/आई/900584 /23-1-25/003-23-1002(002)/225/2024 -दिनांक-07-03-2025	1825.18 1825.18 685.79 258.16 1567.02	309.61	1257.41	20.00
4	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में जनपद सहारनपुर में सहारनपुर नागल लाखनौर सिडकी झबरेडा मार्ग के चैनेज 17.100 से 30.100 तक पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य	173/2025/आई/920433/23-1-25/001-23-1002(002)/60/2025 -दिनांक-27-03-2025	2570.27 2570.27 1768.39 304.59 2265.68	736.88	1528.80	120.00
5	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	रूड़कली तालबली से जोली बेहड़ा सादात मार्ग	320 /2024/150-आरएसएन/23-1-2024/001-05(बी)/आरएसएन -एसएएच/2024-दिनांक-21-08-2024	104.85 104.85 62.11 19.74 85.11	58.69	26.42	7.49
6	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में बेहड़ा सादात से मेरठ पौड़ी मार्ग के चैडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य।	383/140-आरएसएन/23-1-2024/003-05(एस)/आरएसएन-सी0ओ0एम0/2024-दिनांक-03-09-2024	2777.54 2777.54 1496.82 774.92 2002.62	1837.15	165.47	66.19
7	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	धौलरा सिसौली बुढाना अ0जि0मा0 की चैनेज 0.000 से 14.650 में खेड़ी सुडियान, सिसौली, मुण्डभर पुलिया एवं मूल लाईट स्कूल होते हुये शाहपुर बसी मार्ग तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	224 /2023/494 रासनि /23-1-23/001-16 आरएसएन/2022 टीसी दि 23.02.2023-दिनांक-23-02-2023	2250.38 2250.38 1041.72 362.50 1887.88	1822.58	65.30	13.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्राविधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
8	नि.ख. सहारनपुर	रामपुर बड़ागांव मार्ग से मौेरा होते हुए जडौदा पाण्डा मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (चैनेज 0.000 से 13.550 तक)	1041 /2023 /आई /434395/23-1-23/002-23-1002 (002)/215 /2023-दिनांक-24-11-2023	2065.81 2065.81 1158.61 439.24 1626.57	1486.78	139.79	55.92
9	नि.ख. सहारनपुर	दौलतपुर-नानौता-मंगलौर मार्ग (एस0एच0 167) से बीबीपुर दुगचाड़ा मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। (चैनेज 0.000 से 7.900 तक)	1041 /2023 /आई /434395/23-1-23/002-23-1002 (002)/215 /2023-दिनांक-24-11-2023	1196.29 1196.29 689.67 240.48 955.81	876.55	79.26	31.70
10	नि.ख. सहारनपुर	देवबन्द से बास्तम, रास्तम, भवनपुर, बचीटी, शिवपुर होते हुए उत्तराखण्ड की सीमा तक (अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0 01 से 10(800) तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	61 /2024/503772/23-1-24/001-23-1002 (002)/39 /2024-दिनांक-23-02-2024	2432.75 2432.75 1666.36 3.46 2429.29	2231.64	197.65	59.37
11	नि.ख. सहारनपुर	सहारनपुर-बड़गांव मार्ग से शब्बीरपुर, महेशपुर, कृपाल आश्रम, किशनपुरा होते हुए बड़गांव जडौदा पाण्डा (अन्य जिला मार्ग) तक मार्ग के चैडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	84 /2024/आई/513525 /23-1-24/001-23-1002(002)/53/2024 -दिनांक-06-03-2024	1293.09 1293.09 631.88 130.32 1162.77	1046.34	116.43	37.97
12	नि.ख. सहारनपुर	रामपुर बड़गांव से अलाउद्दीन चकवाली मिर्जापुर होते हुए सहारनपुर बड़गांव तक मार्ग(अन्य जिला मार्ग) तक मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	84 /2024/आई/513525 /23-1-24/001-23-1002(002)/53/2024 -दिनांक-06-03-2024	1433.28 1433.28 836.80 90.80 1342.48	1224.28	118.20	35.47
13	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में देवबन्द माॅ बाला सुन्दरी मन्दिर से नगलीनूर कुरलकी महतौली होते हुए मुजफ्फरपुर की सीमा तक (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	84 /2024/आई/513525 /23-1-24/001-23-1002(002)/53/2024 -दिनांक-06-03-2024	1682.54 1682.54 1010.57 178.30 1504.24	1340.48	163.76	51.42
14	नि.ख. सहारनपुर	नानौता देवबन्द मंगलोर मार्ग से सर्विस रोड होते हुये मुश्कीपुर मार्ग (अन्य	101 /2024/आई/520057 /23-1-24/001-23-	942.39 942.39 352.05 178.74	693.14	70.51	23.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		जिला मार्ग) के चैनेज 3.550 कि0मी0 से 8.800 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1002(002)/66/2024 -दिनांक-14-03-2024	763.65			
15	प्रा.ख. शामली	जनपद शामली में दुल्लाखेड़ी से बुन्टा राजवाहे की पटरी होते हुए गंदेवडा (संगम) अन्य मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	602 /2024/आई/792865 /23-1-24/001-23-1002(002)/169/2024 -दिनांक-11-11-2024	1262.38 1262.38 678.38 150.92 1111.46	797.57	313.89	125.56
16	प्रा.ख. शामली	जनपद शामली में मस्तगढ नहर के पुल से कैल षिकारपुर मार्ग (पूर्व नाम-थानाभवन कैल षिकारपुर मार्ग) अन्य जिला मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	611/2024/आई/795305/23-1-2024/001-23-1002(002)/155/2024-दिनांक-14-11-2024	393.72 393.72 208.70 15.53 378.19	323.19	55.00	22.00
17	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में पुरबालियान पुरा मुबारिकपुर धनायन शाहपुर मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	431 /2025/आई/1107351/23-1-25/003-23-1002(002)/191/2025 दिनांक 03.10.2025 -दिनांक-03-10-2025	1419.70 1419.70 800.00 295.17 1124.53	138.40	986.13	160.00
						कुल योग-	951.86

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 9,51,86,000/- (रूपये नौ करोड़ इक्यावन लाख छियासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-185/2026/आई/1275389(1)/23-1-26/002-23-1002(002)/124/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।